



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

23 FALGUN, 1943 (S)

No. 109

RANCHI, MONDAY, 14th MARCH, 2022

Finance Department

Notification
3rd March, 2022

Notification No. सांवि(NBFC)01/2019.....--In exercise of the powers conferred by section 38(1) of the Banning of unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019), the Jharkhand Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement:

- (1) These rules may be called the "Jharkhand Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2022".
- (2) It shall extend to the whole of the state of Jharkhand.
- (3) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

- a) "Act" means the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019(21 of 2019);
- b) "Application" means an application filed by the Competent Authority under section 14 of the Act,
- c) "Competent Authority" means an authority appointed by the Government under section 7 of the Act;

- d) "Designated Court" means a Designated Court constituted by the Government under section 8 of the Act;
- e) "Government" means the Government of Jharkhand.
- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act;

3. Information and particulars to be considered - The information and particulars which the competent Authority shall consider for provisionally attaching the property of the deposit taker shall include, namely:-

- (a) Any complaint against the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme, whether the complainant is a depositor in the said unregulated Deposit Scheme or not;
- (b) Any information received from the Central Government, or any State Government or Union territory Administrations, or any law enforcement authority or agency or body under the charge of such Government or Administrations regarding the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme ;
- (c) Information of any advertisement, whether in print or electronic media or both, inducing another person to invest in, or become a member or participant of any Unregulated Deposit Scheme; and
- (d) Any other information that the competent Authority has, that a deposit taker is soliciting or accepting deposits in contravention of the provisions of the Act.

4. Procedure for Attachment :-

(1) If the Competent Authority or an Officer appointed to assist the Competent Authority is satisfied that the facts of the case necessitate identification of the properties or assets acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, the Competent Authority or the officer appointed to assist the Competent Authority, may procure such details from Police authorities utilizing the provisions of sub-section (1) of Section 31 or any other authority as deemed fit or from public through a public notification seeking the details of properties or assets.

(2) Where the information is sought from the public through the public notification specified in sub-rule (1) of this rule, an advertisement may be released in two prominent local newspapers within a period of fifteen days of receipt of report from the Police Authorities informing that a prima facie case exist.

(3) If the Competent Authority, after collecting additional information, is of the opinion that some additional properties of the deposit taker require to be attached, it may do so in accordance with Section 7 of the Act.

5. Authorization for search and seizure- For the purpose of an investigation into any offence under the Act, the officer-in-charge of a police station may give written authorisation of search and seizure for the following, namely :-

- (a) any record, whether physical or electronic, which is used, intended to be used, or suspected to be used, in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;
- (b) any books of account maintained in connection with an Unregulated Deposit Scheme;
- (c) any deposits acquired or suspected to be acquired in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;
- (d) any valuable securities maintained or suspected to be maintained in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;
- (e) record of any property, whether movable or immovable, acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, which is suspected to be acquired in connection with an Unregulated Deposit Scheme;

- (f) record of any account with a bank or financial or market establishment, which is suspected to be used in connection with an Unregulated Deposit Scheme; and
- (g) any other thing which is suspected to be used in connection with an Unregulated Deposit Scheme.

6. Power to seize properties:- Where the Competent Authority or any officer is satisfied or has reason to believe that any property which is liable to be attached under the Act is likely to be concealed, transferred or dealt in any manner which will result in defeating the purpose of the Act, it may direct the police officer to seize such property or where it is not practicable to seize such property make any order to freeze such property and it shall not be transferred or otherwise disposed of or dealt with.

7. Impounding and retention of records :-

- (1) The person from whose custody records are impounded under sub-section (8) of section 7 of the Act may make copies thereof, or take extracts there from, in the presence of an officer authorized by the Competent Authority, at such place and time as the Competent Authority may appoint in his behalf.
- (2) The officer appointed under sub-section (2) of section 7 shall retain such records in his custody without taking approval from the Competent Authority, for a period up to three months, and if the records are necessary to be retained beyond the said period, approval of the Competent Authority shall be required.
- (3) If the person from whose custody records are impounded objects for any reason to the records being impounded, he may make an application to the Competent Authority stating therein the reasons for such objection and requesting for the return of the records, and the Competent Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such orders as he thinks fit.
- (4) The officer shall ensure the safe custody of the records impounded and retained in his custody.

8. Powers vested while conducting investigation or inquiry :-

(1) Unless and otherwise felt essential, to conduct investigation or inquiry under sub-section (4) of section 7, while conducting investigation or inquiry, the following notices may be issued by the Competent Authority, namely

- (i) Notice for initiation of action in Form A;
- (ii) Notice for additional information, if any, required in Form B;
- (iii) Final notice for personal attendance of deposit taker or other persons and witnesses in Form C.
- (2) The Order of Provisional attachment shall contain to the extent possible the following:
 - (i) Details of Complaint;
 - (ii) Details of the Deposit Taker or Financial entity;
 - (iii) Inquiry report from the Police
 - (iv) Report received from Competent Authority of other states
 - (v) Complaints received from public;
 - (vi) Details of the Proceedings, reasons for attaching such properties, effective date of attachment
 - (vii) Copies of the Notices issued or served and delivery proof, if any;
 - (viii) Summary of the findings;
 - (ix) Details of property attached, bank account numbers, amount attached, securities including shares and bonds, attached movable property, approximate value of such property, and in case of immovable property the extent of land, survey numbers and boundaries of such property and name of the title holder of such property; and
 - (x) Conclusion; and
 - (xi) Evidences (attach the evidences or proof).

- (3) The proceedings of the Competent Authority shall record the proceedings under sub section (4) of section 7 and shall follow due process of law diligently.

9. Application for confirmation of provisional attachment- The Competent Authority shall file an application before the Designated Court for making the provisional attachment absolute, containing the following particulars, namely :-

- (a) A complete list of the property, money or deposits attached;
- (b) In case of immoveable property, the name or name and particulars of the owner of the property, any person who claims to be in possession of the property, and any other person who has an interest in the said property;
- (c) The record of the provisionally attached property specified in sub-rule (6) or rule 4 and the valuation report, if any, specified in sub-rule (8) of rule 4;
- (d) A list of the depositors from whom the deposit taker has accepted or collected deposits; and
- (e) A list of dues owed to depositors including amounts that may be realised from sale of any attached property of the deposit taker.

10. Power of Government to empanel agencies for forensic or digital audit, valuation or sale of assets:- (1) The Government shall empanel and notify the list of,-

- (a) Agencies for valuation of assets and for assisting in selling of assets to prospective buyers; and
 - (b) Forensic auditors and digital auditors for audit of money trail.
- (2) The Competent Authority shall utilise the services of such agencies and auditors for valuation of assets, for selling of assets and for forensic and digital audit of money trail.
- (3) The Competent Authority may also utilize the services of Forensic Auditors or Digital Auditors empanelled by the Indian Banks' Association, for Audit of Money trail till the State empanels such agencies, wherever felt required.
- 11. Valuation reports to be obtained while releasing properties attached:-** The Designated Court while according permission to deposit the fair value of the property in lieu of the attachment under sub-section (1) of Section 17 may obtain valuation reports from at least two empanelled valuers while releasing properties

12. Procedure to be adopted by Designated Court -

- (1) The Designated Court may regulate its own procedure and shall be guided by the principles of natural justice and the procedure contained in the Code of Civil Procedure, 1908
- (2) The designated Court shall-
 - (a) Consider the objections to the show cause notice issued under sub-section (1) or sub-section (2) of section 15 of the Act.
 - (b) Hear the aggrieved person and the Competent Authority or advocates representing these parties, and
 - (c) Take into account all relevant materials placed on record before it.

13. Powers relating to absconding persons:- Where the Competent Authority or the Officer appointed to assist the Competent Authority is satisfied or has reason to believe that a person in respect to whom action is contemplated under the Act has absconded or is concealing himself, the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority shall make a report in writing to the Designated Court for further course of action.

14. Power to appoint legal practitioner and others:- The Competent Authority or an officer appointed to assist the Competent Authority shall be entitled to use the services of the Department of Prosecution, legal practitioners or chartered accountants or any other persons whose services are necessary for possession and realisation of the assets in question

15. Manner of provisional attachment and administration of provisionally attached property :-

- (1) A copy of the order of provisional attachment shall be served on the owner of the property, or any person who claims to be in possession of the property or any other person who has an interest in the said property.
- (2) The order of provisional attachment shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction in which the deposit taker is located.
- (3) Where the Competent Authority is not able to serve the order of provisional attachment to a person specified in sub-rule (1), then such person shall be deemed to be served the order by the publication of the order in the manner provided under sub- rule (2)
- (4) The Competent Authority shall take possession of the immoveable property by affixing the order of provisional attachment at a conspicuous place of such immoveable property.
- (5) Where the property to be attached is a moveable property, the Competent Authority shall take actual physical possession of such property and retain it in his custody or the custody of any other officer appointed to assist him.
- (6) The Competent Authority shall maintain a record of the property provisionally attached which shall include details of any expenditure incurred or any costs of management of the property and of any income received from the property
- (7) The Competent Authority shall assess the assets and the liabilities of the deposit taker and prepare a complete record of depositors from whom the deposit taker has collected deposits pursuant to an Unregulated Deposit Scheme.
- (8) The Competent Authority may appoint a valuer for the purposes of assessing the assets and liabilities of the deposit taker sub-rule (7).
- (9) Where any property of which possession has been taken is of a perishable nature, the Competent Authority may sell the same keeping in mind the best interest of the depositors.
- (10) The details and proceeds of the sale under sub-rule (9) shall be entered separately by the Competent Authority and maintained in the record as specified in sub-rule (6).

16. Retraction of advertisement-

- (1) The Government shall direct the owner of any newspaper or other publication of any nature either in print or in electronic form, to publish a full and fair retraction, unequivocally withdrawing any offer, promotion or inducement made earlier in any advertisement, statement or information to any person to become a member of any Unregulated Deposit Scheme.
- (2) The retraction shall be as prominent as the original advertisement, statement or information and be in such a format and font that immediately catches the attention of any reader or recipient.
- (3) The retraction shall be published free of cost within two days from the date of the direction of the Government.
- (4) Where the Government is of the view that the retraction published has not sufficiently engaged the attention of the readers of the newspaper or such other publication, that Government may direct re-publication of the retraction.

17. Savings-

All acts done in pursuance with the provisions of the Jharkhand Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments), Act, 2011 and the Jharkhand Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Rules 2015 therein in good faith since coming into force of this rules shall not be invalidated by reasons of the fact that this Act was not in force at that material point of time.

By order of the Governor,

Ajoy Kumar Singh,
Principal Secretary.

FORM A
(See rule 4)

Notice for initiation of action

To

Sir/Madam,

Sub: M/s

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the act which are cognizable under the provisions of Section 3 of the Act.

The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority are under Sub Section (3) and (4) of the Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes in contravention of Section 3 or 4. In exercise of the powers under the Act the following is ordered:

In connection with the subject, you are required to submit the following:

- (a) Details of financial entity, registration of the entity, permissions to accept deposits from regulators if any, including unique identification number or Registration and PAN numbers.
- (b) Details of the Promoters, Managing Directors, Directors, Partners, Management persons etc., including unique identification number or Registration and PAN numbers.
- (c) Latest audited Balance Sheet and Profit and Loss accounts filed.
- (d) Details of the Regulator and the copy of registration certificates, permissions to undertake the activity of deposit taking.
- (e) Produce full details of the Schemes of Deposits under which deposits are being collected from public.
- (f) List of the Depositors along with Deposit accepted, Rate of interest, Maturity Date, terms of repayment of interest and principle, any other promises or assurances or commissions payable etc.
- (g) Details of defaults if any in repayment of Deposit or any specified service promised against such deposit along with date of default.
- (h) Total amount in default and number of depositors affected, if any
- (i) Reasons for default if any
- (j) Steps taken or proposed to repay the amount in default
- (k) Details of the Bank accounts of the financial entity with latest balance in the accounts.

You are hereby required to submit the full details listed above and duly attested, to my office on _____ at _____ either in person or through representative duly authorised in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note:* Strike whichever is not applicable)

Your faithfully,

Date:

FORM B**(See rule 4)****Notice for additional information****To**

Sir/Madam,**Sub: M/s****Ref: Notice in Form - A****Date:** _____

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the Act which are cognizable under the provisions of Section 3 of the Act.

The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority are under Sub Section (3) and (4) of the Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes in under Section 3 of the Act. In exercise of the powers under the Act the following is ordered:

(A) Certain further details or clarification or additional information listed here below are required in connection with the Deposit Scheme* or Chit funds Scheme* or Default in repayment* or Deposit or any specified service promised against such deposit on _____ which I would call for additional information, under the deposit scheme/s by the _____ financial entity which please furnish immediately .

i

ii

iii

iv

(B) You are hereby required to attend my office on _____ at _____ either in person or through representative duly authorised in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

(C) In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated . Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note:* Strike whichever is not applicable)

Your faithfully,

Date:

FORM C**(See rule 4)****Notice for additional information****To**

Sir/Madam,**Sub: M/s****Ref: Notice in Form - A dated: _____****Notice in Form - B dated: _____**

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the act which are cognizable under the provisions of Section 3 of the Act.

The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority are under Sub Section (3) and (4) of the Section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes in under Section 3 of the Act. In exercise of the powers under the Act the following is ordered:

(A) As per Notice in Form A calling details and documents No _____ dated _____ you were asked to submit the details and documents but you have failed to submit the details and document called for

and / or

(B) As per Notice in Form B you were asked to furnish certain additional documents or details and also to attend my office on _____ at _____ either in person or through representative duly authorised in writing on his / her behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter, but you have failed to appear before me along with the details and documents filed for.

(C) In view of the your not complying with the orders of the under signed, a final opportunity is given to you to submit the details and document called for and /or appear before me along with the details and document called for on _____ at _____ failing which it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note:* Strike whichever is not applicable)

Your faithfully,

Date:

By Order and etc

FORM
(See rule 7)

INTIMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITY

1.	Name of deposit taker
2.	Registered address of the deposit taker
3.	Address of branches of the deposit taker (if any)
4.	Unique Identification No. of Registration/Incorporation under applicable law.
5.	Authority to carry on deposit taking
6.	Name and address of persons responsible for the management of the deposit taker (CEO and Directors/Partners, Proprietors/Board).
7.	PAN number of the deposit taker

I solemnly affirm to the best of my knowledge and belief that the information given in this Form is correct, and that nothing material has been concealed there from.

Date :

Place :

Authorised Signatory

वित्त विभाग

अधिसूचना

3 मार्च, 2022

अ०सू०सं०-सा०वि०(NBFC)01/2019.....—झारखण्ड सरकार, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 38(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “झारखण्ड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2022” होगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) ये नियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ:- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “अधिनियम” से अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) अभिप्रेत है;
- (ख) “आवेदन” से अधिनियम की धारा- 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;
- (ग) “सक्षम प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है; और
- (घ) “अभिहित न्यायालय” से अधिनियम की धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा गठित कोई अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है ।
- (ङ) “सरकार” से झारखण्ड सरकार अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में हैं ।

3. सुविचारित करने योग्य सूचना और विशिष्टियाँ:- ऐसी सूचना और विशिष्टियों में, जिन पर सक्षम प्राधिकारी, निक्षेप लेने वाले की सम्पत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क करने के लिए विचार करेगा, निम्नलिखित सम्मिलित होगा, यथा:-

(क) अविनियमित निक्षेपस्कीम के संवर्धन या प्रवर्धन के विरुद्ध कि गई कोई शिकायत चाहे शिकायतकर्ता, उक्त अविनियमित निक्षेप सम्पत्ति में निक्षेपकर्ता हो अथवा नहीं;

(ख) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रवर्धन के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों या ऐसी सरकारों के प्रभार के अधीन किसी विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अभिकरण या निकाय से प्राप्त कोई सूचना;

- (ग) किसी विज्ञापन की सूचना, चाहे मुद्रित हो या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या दोनों, जिसके अन्तर्गत किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम विनिधान करने वाला या उसका सदस्य या भागीदार कोई अन्य व्यक्ति भी है, और
- (घ) कोई ऐसी अन्य सूचना, जो सक्षम प्राधिकारी के पास है कि निक्षेप लेने वाले ने अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में निक्षेपों की याचना की है या उन्हें स्वीकार किया है।

4. कुर्की के लिए प्रक्रिया :-

1. यदि सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी संतुष्ट हो कि मामले के तथ्यों के लिये निक्षेप लेने वाला या निक्षेप लेने वाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अर्जित सम्पत्ति की पहचान आवश्यक है, तो सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी धारा-31 की उपधारा- (1) के प्रावधानों के अधीन पुलिस विभाग से या किन्हीं अन्य प्राधिकरण जो भी उचित हो से या जनता से अथवा सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों का विवरण लेने हेतु सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से, जो भी उचित हो, ऐसे विवरणों को जुटा सकते हैं।

2. जिन मामलों में इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जनता से सूचना प्राप्त हो, पुलिस प्राधिकारी से यह रिपोर्ट मिलने पर कि प्रथम द्रष्टया मामला विद्यमान है, पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर दो प्रमुख स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

3. यदि अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के बाद सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि निक्षेप लेने वालों की कुछ अतिरिक्त सम्पत्ति को कुर्क करना आवश्यक है तो वह अधिनियम की धारा-7 के अनुसार ऐसा कर सकता है।

5. तलाशी और अभिग्रहण का प्राधिकार:- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी निम्नलिखित की तलाशी के लिए लिखित प्राधिकार दे सकेगा, यथा

(क) कोई अभिलेख, चाहे भौतिक हो या इलैक्ट्रॉनिक, जिसका अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रवर्धन के संबंध में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाना आशयित है या उपयोग किए जाने का संदेह है;

(ख) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में अनुरक्षित कोई लेखा पुस्तिका;

(ग) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के संबंध में अर्जित किया गया या अर्जित किए जाने के लिए आशंकित कोई निक्षेप;

(घ) किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के संबंध में अनुरक्षित किया गया या अनुरक्षित किए जाने के लिए आशंकित कोई निक्षेप;

(ङ) किसी सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, का अभिलेख निक्षेप लेने वाले के नाम में या निक्षेप लेने वाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अर्जित की गई हो, जिसके अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में अर्जन किए जाने की आशंका हो;

(च) किसी बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन के किसी खाते का अभिलेख, जिसके अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में उपयोग किया गया हो;

(छ) कोई अन्य बात, जिसका अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में उपयोग किए जाने की आशंका हो।

6. सम्पत्तियों को जब्त करने की शक्ति:- सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी अगर संतुष्ट हो अथवा यह मानने का कारण हो कि अधिनियम के अधीन कुर्क होने वाली किसी सम्पत्ति को किसी तरीके से छुपाया, स्थानांतरित या निपटाया जा सकता है और इससे अधिनियम के उद्देश्य विफल हो जायेंगे, तो वह पुलिस अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है। जहाँ ऐसी सम्पत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं है, उसे फ्रीज करने का आदेश दे सकता है, और ऐसी सम्पत्ति को हस्तांतरित बरता जाना या अन्यथा निपटाया नहीं जा सके।

7. अभिलेखों का परिबद्धकरण और प्रतिधारण:-

(1) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (8) के अधीन अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और समय पर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त नियत करे, उसकी प्रतियाँ बना सकेगा या उससे उद्धरण ले सकेगा।

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अभिलेख को, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना तीन मास तक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखेगा और यदि अभिलेख को उक्त अवधि के पश्चात् अवधारित करना आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, अभिलेखों के परिबद्ध किए जाने के किसी कारण को आक्षेपित करता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे आक्षेप के कारणों को बताते हुए एक आवेदन दे सकता है। सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे

(4) अधिकारी परिबद्ध किए गए अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा और उसकी अभिरक्षा प्रतिधारित करेगा।

8. जाँच या अनुसंधान करते समय निहित शक्तियाँ :-

1. जब तक कि अन्यथा आवश्यक प्रतित न हो, धारा-7 की उपधारा (4) की तहत अनुसंधान या जाँच करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसंधान जाँच के संचालन के क्रम में निम्नलिखित नोटिस जारी किये जा सकते हैं यथा:-

- (i) कार्रवाई शुरू करने के लिये नोटिस प्रपत्र 'क' में;
- (ii) अतिरिक्त आवश्यक जानकारी, यदि कोई हो, के लिये नोटिस प्रपत्र 'ख' में;
- (iii) निक्षेप लेने वाले या अन्य व्यक्तियों और गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये अंतिम सूचना प्रपत्र 'ग' में;

2. अनन्तिम कुर्की के आदेश में यथासंभव निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

- (i) शिकायत का विवरण;
- (ii) निक्षेप लेनेवाले व्यक्ति या वित्तीय इकाई का विवरण;
- (iii) पुलिस का जाँच प्रतिवेदन;
- (iv) अन्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन;
- (v) जनता से प्राप्त शिकायतें;

- (vi) कार्यवाही के विवरण, ऐसी सम्पत्तियों को कुर्क करने के कारण, कुर्की की प्रभावी तिथि;
 - (vii) निर्गत या हस्तगत कराई गई नोटिस और उसका पावती प्रमाण, यदि कोई हो;
 - (viii) जाँच परिणाम का सारांश;
 - (ix) कुर्क सम्पत्ति का विवरण, बैंक खाता संख्या, कुर्क राशि, शेयर और बॉण्ड सहित प्रतिभूतियाँ, कुर्क चल सम्पत्ति, ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य और अचल सम्पत्ति के मामले में भूमि की सीमा, सर्वेक्षण संख्या और चौहद्दी और जमीन मालिक का नाम;
 - (x) निष्कर्ष; तथा
 - (xi) साक्ष्य (प्रमाण या साक्ष्य संलग्न करें);
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा चलाई गई कार्यवाही तथा धारा-7 की उपधारा (4) के अधीन अभिलिखित कारवाई प्रतिवेदन तथा जिसमें विधिसम्मत प्रक्रिया का तत्परतापूर्वक पालन किया जाएगा ।
9. अनन्तिम कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन:- सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित विशिष्टियों को समाविष्ट करते हुए पूर्ण अनन्तिम कुर्की करने हेतु अभिहित न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल करेगा, अर्थात:-
- (क) कुर्क की गई सम्पत्ति, धनराशि या निक्षेप की पूरी सूची;
 - (ख) स्थावर सम्पत्ति की दशा में, सम्पत्ति का स्वामी/के स्वामियों, किसी व्यक्ति, जो सम्पत्ति में काबिज होने का दावा करता है और किसी अन्य व्यक्ति, जिसका उक्त सम्पत्ति में कोई हित है, का/के नाम और ब्यौरे;
 - (ग) नियम 4 के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अनन्तिम रूप से कुर्क की गई सम्पत्ति और नियम 4 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो, का अभिलेख;
 - (घ) निक्षेपकर्त्ताओं की सूची, जिनसे निक्षेप लेने वाले ने निक्षेपों का प्रतिग्रहण या संग्रहण किया है; और
 - (ङ) निक्षेपकर्त्ताओं को देय शोध्यों की सूची, जिसके अन्तर्गत ऐसी रकम भी है, जो निक्षेप लेने वाले की कुर्क सम्पत्ति के विक्रय से वसूल की जा सकेगी ।
10. फारेंसिक या डिजिटल ऑडिट, परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन या बिक्री हेतु एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की सरकार की शक्ति:-
- 1. सरकार निम्नलिखित को सूचीबद्ध और अधिसूचित करेगी -
 - क. सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु एवं संभावित खरीददारों को सम्पत्ति बेचने में सहायता के लिये एजेंसियों
 - ख. मनी ट्रेल के ऑडिट हेतु फारेंसिक या डिजिटल ऑडिटर्स
 - 2. सक्षम प्राधिकार ऐसी एजेंसियों और लेखा परीक्षकों की सेवाओं का उपयोग परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन, बिक्री और मनी ट्रेल के फारेंसिक डिजिटल अंकेक्षण के लिये करेंगे ।
 - 3. यथावश्यक इस तरह के धन के अंकेक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी भारतीय बैंक एसोसियेशन द्वारा सूचीबद्ध फारेंसिक या डिजिटल अंकेक्षकों की सेवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं, जब तक राज्य सरकार द्वारा फारेंसिक/डिजिटल अंकेक्षणों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता ।

11. कुर्क परिसम्पत्तियों को विमुक्त करते समय उनका मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करना:- धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित न्यायालय द्वारा परिसम्पत्तियों को विमुक्त करते समय कुर्की के एवज में सम्पत्ति का उचित मूल्य अदा करने की अनुमति देने के पूर्व कम से कम दो सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्त्ताओं से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा ।
12. अभिहित न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-
 - (1) अभिहित न्यायालय, अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकेगा तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया द्वारा मार्गदर्शित होगा।
 - (2) अभिहित न्यायालय:-
 - (क) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के आक्षेपों पर विचार करेगा;
 - (ख) व्यथित व्यक्ति और सक्षम प्राधिकारी या इनके प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की सुनवाई करेगा; और
 - (ग) उसके समक्ष अभिलेख पर रखी गई सभी सुसंगत सामग्रियों पर विचार करेगा ।
13. फरार व्यक्तियों से संबंधित शक्तियाँ:- जहाँ सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकार की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी संतुष्ट हो अथवा उनके समक्ष विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के अधीन जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वह व्यक्ति फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी अग्रेतर कार्रवाई हेतु नामनिर्दिष्ट न्यायालय को लिखित प्रतिवेदन देगा ।
14. विधि व्यवसायी तथा अन्य को नियुक्त करने की शक्ति:- सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी अभियोजन विभाग, विधि व्यवसायियों या चार्टर्ड एकाउंटेंटों या अन्य व्यक्तियों, जिनकी सेवायें वादगत् सम्पत्ति के अधिग्रहण और प्राप्ति हेतु आवश्यक है, की सेवाओं का उपयोग करने का हकदार होगा ।
15. अनन्तिम कुर्की की रीति और अनन्तिम रूप से कुर्क सम्पत्ति का प्रशासन:-
 - (1) अनन्तिम कुर्की के आदेश की प्रति की तामील सम्पत्ति के स्वामी या किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी, जिसने सम्पत्ति पर काबिज होने का दावा किया है या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी, जिसका उक्त सम्पत्ति में कोई हित है ।
 - (2) अनन्तिम कुर्की का आदेश ऐसे क्षेत्र या अधिकारिता में, जिसमें निक्षेप लेने वाला अवस्थित है, व्यापक रूप से परिचालित प्रमुख समाचार पत्र में (स्थानीय और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) प्रकाशित किया जाएगा ।
 - (3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अनन्तिम कुर्की के आदेश की तामील करने में समर्थ नहीं होता है, वहाँ उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति में आदेश के प्रकाशन द्वारा आदेश की तामील समझी जाएगी ।
 - (4) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी स्थावर सम्पत्ति के सहजदृश्य स्थान पर अनन्तिम कुर्की के आदेश को चिपकाकर स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लेगा ।

- (5) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कोई जंगम सम्पत्ति है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में प्रतिधारित करेगा ।
- (6) सक्षम प्राधिकारी, अनन्तिम रूप से कुर्क सम्पत्ति के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा, जिसमें सम्पत्ति के प्रबंध से उपगत किसी व्यय या उसकी लागत के ब्यौरे और सम्पत्ति से प्राप्त किसी आय के ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।
- (7) सक्षम प्राधिकारी, निक्षेप लेने वाले की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण करेगा और ऐसे निक्षेपकर्त्ताओं के, जिनसे निक्षेप लेने वाले ने अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों का संग्रहण किया है, सम्पूर्ण अभिलेख को तैयार करेगा ।
- (8) सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (7) के अधीन निक्षेप लेने वाले की आस्तियों और दायित्वों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन की नियुक्ति कर सकेगा ।
- (9) जहाँ कोई ऐसी सम्पत्ति, जिसका कब्जा लिया गया है, विनश्वर प्रकृति की है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकर्त्ताओं के उत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उसका विक्रय कर सकेगा ।
- (10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उपनियम (9) के अधीन विक्रय के ब्यौरे और आगमों को उपनियम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अभिलेख में पृथक रूप से प्रविष्ट और अनुरक्षित किया जाएगा ।

16. विज्ञापन के प्रतिगमन -

- (1) सरकार किसी समाचार पत्र अथवा प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के स्वामी को यह निदेश देगी की उनके द्वारा प्रकाशित अविनियमित निक्षेप स्कीम के प्रस्ताव संवर्धन अथवा सदस्य बनने के प्रलोभन से संबंधित विज्ञापन का सम्पूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिगमन प्रकाशित किया जाय ।
- (2) प्रतिगमन कि सूचना, मूल विज्ञापन, कथन अथवा सूचना की तरह ही विशिष्ट होनी चाहिए। प्रतिगमन की सूचना सुस्पष्ट तथा ऐसे प्रारूप और फॉण्ट में होनी चाहिए जो पाठक/प्राप्तिकर्त्ता का ध्यान उस ओर आकृष्ट करे ।
- (3) सरकार के निदेश की तारीख से दो दिन के भीतर विज्ञापन का प्रतिगमन निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा ।
- (4) यदि सरकार का या विचार है कि प्रकाशित किया गया विज्ञापन का प्रतिगमन समाचार पत्र या ऐसे अन्य प्रकाशन के पाठकों का ध्यान पर्याप्त रूप से आकृष्ट नहीं कर पा रहा है तो सरकार प्रतिगमन की सूचना के पुनः प्रकाशन का निदेश दे सकती है ।

17. व्यावृत्ति: -

इस नियमावली के प्रवृत्त होने के ठीक पहले झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) नियमावली 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में सदभावपूर्वक किया गया सभी कार्य इस तथ्य के कारण अमान्य नहीं होगा कि यह नियमावली तत्समय प्रवृत्त नहीं था ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

प्रपत्र - क

(नियम 4 देखें)

कार्रवाई शुरू करने की नोटिस

दिनांक.....

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय/महोदया

विषय:

प्राप्त सूचनाओं या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम द्रष्ट्या यह प्रतीत होता है कि विषयगत वित्तीय इकाई या निक्षेप लेने वाला ऐसी कृत्यों में संलिप्त है, जो अधिनियम की धारा (3) के अध्यक्षीन संज्ञेय है ।

सक्षम प्राधिकार या सक्षम प्राधिकार की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को धारा- 3 या धारा- 4 के तहत अनाधिकृत निक्षेप योजनाओं अथवा निक्षेप योजनाओं के तहत चूक के संबंध में जाँच या पूछताछ के लिये अधिनियम की धारा- 7 की उपधारा (3) और (4) के अध्यक्षीन वही शक्ति प्राप्त है, जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक सिविल कोर्ट में निहित है ।

इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निक्षेप करने का आदेश दिया जाता है:-

क. वित्तीय इकाई का विवरण, इकाई का पंजीकरण, विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नम्बर सहित नियामकों से प्राप्त निक्षेप स्वीकार करने की अनुमति, यदि कोई हो ।

ख. विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नम्बर सहित संप्रवर्तक (प्रमोटर्स), प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, भागीदारों, प्रबंधन के व्यक्तियों आदि का विवरण ।

ग. अद्यतन अंकेक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते ।

घ. नियामक का विवरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, निक्षेप लेने संबंधी अनुमति ।

इ. निक्षेप की स्कीमों का पूरा विवरण प्रस्तुत करें, जिसके अधीन जनता से निक्षेप राशि एकत्रित की जा रही है ।

- च. स्वीकृत निक्षेप राशि के साथ निक्षेपकर्त्ताओं की सूची, ब्याज की दर, परिपक्वता तिथि, ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान की शर्तें, कोई अन्य वादे या आश्वासन या देय कमीशन आदि ।
- छ. निक्षेप के पुनर्भुगतान चूक अथवा ऐसे निक्षेप के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट वचनबद्ध सेवा का विवरण, यदि कोई हो ।
- ज. चूक की कुल राशि तथा प्रभावित निक्षेपकर्त्ताओं की संख्या, यदि कोई हो ।
- ‘. चूक का कारण, यदि कोई हो ।
- ट. चूक की राशि चुकाने के लिये उठाये गये या प्रस्तावित कदम ।
- ठ. अद्यतन शेष राशि के साथ वित्तीय इकाई के बैंक खातों का विवरण ।

एतद् द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि मेरे कार्यालय में दिनांक..... को बजे ऊपर सूचीबद्ध का सम्यक् रूप सत्यापित पूर्ण विवरण, व्यक्तिगत रूप से या इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस मामले के अनुसार अपने क्रियाकलापों के समर्थन में कोई अभिलेख या खाताबही (लेखे) या अन्य कोई साक्ष्य, जिसे आप देना चाहते हो, निर्धारित समय पर प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

यदि आप अद्योहस्ताक्षरी के आदेशों के पालन में विफल रहते हैं, तो यह माना जायेगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है, और अधिनियम के उचित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जायेगी। तय सुनवाई में उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में विवेक के अनुसार निर्धारण किया जाएगा अन्यथा एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा ।

(‘जो लागू न हो उसे काट दें।)

दिनांक:

विश्वासभाजन

प्रपत्र - ख

(नियम 4 देखें)

कार्रवाई शुरू करने की नोटिस

दिनांक.....

सेवा में

.....

महोदय/महोदया

विषय:

संदर्भ: प्रपत्र 'क' में सूचना।

प्राप्त सूचनाओं या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम द्रष्ट्या यह प्रतीत होता है कि विषयगत वित्तीय इकाई या निक्षेप लेने वाली संस्था ऐसी कृत्यों में संलिप्त है, जो अधिनियम की धारा (3) के अध्याधीन संज्ञेय है।

सक्षम प्राधिकार या सक्षम प्राधिकार की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को अनधिकृत निक्षेप योजनाओं अथवा निक्षेप योजनाओं के तहत चूक के संबंध में जाँच या पूछताछ के समय अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (3) और (4) के अध्याधीन वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक सिविल कोर्ट में निहित है।

इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-

क. विभिन्न निक्षेप योजना/योजनाओं के अधीन वित्तीय संस्था द्वारा निक्षेप योजना या चिटफंड स्कीम या पुनर्भुगतान में चुक या निक्षेप या ऐसे निक्षेप के विरुद्ध कोई विशेष सेवा का वादा किया गया हो, जिसके संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिये कुछ और विवरण या स्पष्टीकरण या नीचे सूचीबद्ध अतिरिक्त आवश्यक जानकारी कृपया अविलम्ब प्रस्तुत करें:-

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

ख. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे कार्यालय में दिनांक..... को
..... बजे ऊपर सूचीबद्ध सम्यक् रूप से सत्यापित पूर्ण विवरण के साथ व्यक्तिगत रूप से
या इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस मामले के अनुसार अपने क्रियाकलापों
के समर्थन में कोई अभिलेख या खाताबही (लेखे) या अन्य कोई साक्ष्य, जिसे आप देना चाहते हैं, निर्धारित
समय पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

ग. यदि आप अघोहस्ताक्षरी के आदेशों के पालन में विफल रहते हैं, तो यह माना जायेगा कि आपको इस
मामले में कुछ नहीं कहना है, और अधिनियम के उचित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जायेगी। तय
सुनवाई में उपस्थित न होना या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में विवेक के अनुसार निर्धारण
किया जाएगा या एकपक्षीय आदेश किया जाएगा।

(‘जो लागू न हो उसे काट दे’।)

दिनांक:

विश्वासभाजन

प्रपत्र - ग

(नियम 4 देखें)

अतिरिक्त जानकारी हेतु नोटिस

दिनांक

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय/महोदया

विषय:

संदर्भ: प्रपत्र 'क' में नोटिस दिनांक प्रपत्र 'ख' में नोटिस दिनांक ।

प्राप्त सूचनाओं या रिपोर्ट के आधार पर प्रथम द्रष्टया यह प्रतीत होता है कि विषयगत वित्तीय इकाई या निक्षेप लेने वाली संस्था ऐसी कृत्यों में संलिप्त है, जो अधिनियम की धारा (3) के अध्यक्षीन संज्ञेय है।

सक्षम प्राधिकार या सक्षम प्राधिकार की सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी को अनधिकृत निक्षेप योजनाओं अथवा निक्षेप योजनाओं में चूक के संबंध में जाँच या पूछताछ के समय अधिनियम की धारा- 7 की उपधारा (3) और (4) के अध्यक्षीन वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक सिविल कोर्ट में निहित है। इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-

क. प्रपत्र- (क) में मंागी गई सूचना के अनुसार विवरण और दस्तावेज नम्बर दिनांक निक्षेप करने का आदेश दिया गया था, परन्तु आप विवरण और दस्तावेज निक्षेप करने में विफल रहे हैं।

और / या

ख. प्रपत्र- (ख) के नोटिस के अनुसार आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों या विवरणों के साथ मेरे कार्यालय में..... को पर व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस मामले के अनुसार अपने क्रियाकलापों के समर्थन में कोई अभिलेख या खाताबही (लेखे) या अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश दिया गया था परन्तु आप विवरण और दस्तावेजों के साथ मेरे समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

ग. अद्योहस्ताक्षरी के आदेशों का अनुपालन न करने के मद्देनजर, अंतिम रूप से आपको विवरण और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और/या मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है। आप को..... पर अपेक्षित विवरण और दस्तावेज के साथ मेरे समक्ष उपस्थित हों। असफल होने पर यह माना जायेगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है तथा अधिनियम के उचित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जायेगी। तय सुनवाई में उपस्थित न होना या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण किया जाएगा या एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा।

(‘जो लागू न हो उसे काट दे’।)

दिनांक:

विश्वासभाजन

प्रारूप

(नियम 7 देखिए)

प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियाँ

1. निक्षेप लेने वाले का नाम
2. निक्षेप लेने वाले का रजिस्ट्रीकृत पता
3. निक्षेप लेने वाले की शाखाओं का पता (यदि कोई हो)
4. लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/निगमन की विशिष्ट पहचान सं०
5. निक्षेप लेने वाले प्राधिकारी
6. निक्षेप लेने वाले के प्रबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम और पता (सीईओ और निदेशक/भागीदारी, स्वत्वधारी/बोर्ड)
7. निक्षेप लेने वाले का स्थायी खाता संख्या

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि इस प्रारूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

दिनांक :

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
